

भारतीय कांग्रेस की गतिविधियों में राजस्थान की महिलाओं की सक्रियता

डॉ० सरोज शर्मा, एम.ए. पीएच.डी इतिहास

परिचयात्मक शोध का परिचय

प्रजामण्डल आन्दोलन के बाद महत्वपूर्ण आन्दोलन 1942 का था। कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में अंग्रेजों अधिवेशन में अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पास होने के पश्चात की व्यापक रूप से गिरफ्तारियां शुरू कर दी गई। देश के महत्वपूर्ण नेताओं को बन्दी बना लेने से जनता में नेतृत्व का अभाव हो गया, परन्तु इस रिक्त स्थान की पूर्ति महिलाओं के योगदान ने की, जो कि चिरस्मरणीय होगा।

जोधपुर में (1942 ई) राज्य सत्याग्रह का जो दौर चला उसमें श्रीमति गोरजा देवी जोषी, श्रीमति सावित्री भाटी, श्रीमति सिरे कंवर व्यास और श्रीमति राजकौर वृद्धप्यास प्रमुख थी। उदयपुर की महिलाएं भी इसमें पीछे नहीं रही। श्रीमति नारायणी देवी वर्मा उनका पुत्री स्नेहलता वर्मा तथा श्रीमति भगवती देवी बिश्नोई ने जेल यात्रा की। मेवाड़ में संघर्ष का दूसरा महत्वपूर्ण केन्द्र नाथद्वारा था, जहां श्रीमति गंगाबाई, श्रीमति सूरज देवी, श्रीमति नारायणी देवी जोषी को गिरफ्तार कर लिया गया। श्रीमति रत्ना शास्त्री ने जयपुर में भारत छोड़ो आन्दोलन के समय वनस्थली विद्यापीठ के कार्यकर्ताओं व छात्रों को दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश में जाकर कार्य करने की स्वीकृति प्रदान की। इतना ही नहीं बांसवाड़ा की श्रीमति शकुन्तला देवी त्रिवेदी ने आंसू गैस का सामना किया।

इनके अलावा अनेक महिला कार्यकर्ताओं ने इन आन्दोलनों में हिस्सा लिया उदाहरणार्थ शाहपुरा की रमा देवी ओझा, बीकानेर की लक्ष्मी देवी आचार्य, झुंझनू की रामप्यारी देवी शर्मा, किशोरी देवी, बांसवाड़ा की कालीबाई, चन्दन बहन सुनार, तारा बहन, सीकी की भारती देवी वाजपेयी, शेखावटी की दुर्गा देवी उल्लेखनीय है।

कांग्रेस के आन्दोलन का एक भाग राष्ट्रीय आन्दोलन था तो समाज के सभी वर्गों के उत्थान उसका दूसरा आवश्यक भाग था। सदियों के बिना समाज विकसित नहीं हो सकता। इन आन्दोलनों का उद्देश्य केवल स्वतंत्रता के लिये ही न होकर उत्थान एवं विकास भी था। राजस्थान की महिलाएं यहां भी पीछे नहीं रही। इनमें श्रीमति नारायणी देवी वर्मा बिश्नोई, श्रीमति सावित्री देवी भाटी का नाम उल्लेखनीय है।

निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि अनुपात की दृष्टि से महिलाओं की संख्या उत्साह जन प्रतीत नहीं होती, परन्तु महत्वपूर्ण विषय यह है कि महिलाओं ने किस प्रकार संकटों का सामना करते हुए पुरुष वर्ग में भी उत्साह एवं उमंग को जन्म दिया। इन्होंने चरितार्थ किया कि वीर पिता की संतान कायर होती देखी जा सकती है, परन्तु वीर माता की संतान कभी कायर नहीं होती।

प्रस्तावित शोध का महत्त्व

राजस्थान में राजनैतिक चेतना एवं स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि का निर्माण रियासतों के किसान वर्ग के आन्दोलनों ने किया। सामन्तवादी व्यवस्था में जागीरदार और किसानों के हितों में सदैव अन्तर्विरोध रहा। इस अन्तर्विरोध की प्रथम सशक्त अभिव्यक्ति मेवाड़ के बिजोलिया किसान आन्दोलन में हुई। अतः बिजोलिया आन्दोलन के गर्भ से भावी राजस्थान की राजनैतिक चेतना ने जन्म लिया।

किसान वर्ग के आन्दोलनों को इस बात का श्रेय है कि उन्होंने सर्वप्रथम राजस्थान में राजनैतिक-सामाजिक चेतना का सूत्रपात किया: राष्ट्रीय आन्दोलन के भावी नेतृत्व का निर्माण किया और रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए संघर्ष करने वाले प्रजामण्डलों के संगठन में मूल प्रेरक तत्व की भूमिका प्रस्तुत की।

परिचयात्मक शोध का उद्देश्य

राजस्थान भी भारत के अन्य प्रांतों की भांति कृषि प्रधान प्रान्त है। जिसमें कृषकों का सीधा संबंध राज्य से या जागीरदारों से रहा है। परम्परा के अनुसार कृषक और राज्य या जागीरदारों के संबंध मधुर थे। वे अपनी उपज का कुछ भाग अपने स्वामी को उपहार के रूप में देते थे।

परन्तु राज्यों का ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंध स्थापित होने के पश्चात स्थिति में एक नया परिवर्तन आया। इधर राजा-महाराजा अंग्रेजों की छत्र-छाया में मौज शौक का जीवन बिताने लगे और इधर उनके सामन्त भी अपने स्वामियों का अनुसरण करने में पीछे नहीं रहे। जब अंग्रेजों का एक निश्चित खिराज राज्यों को देना होता था तो उन्होंने अपने जागीरदारों से भी सेवा के बदले निश्चित कर (छछूंद) लेना प्रारम्भ कर दिया। शनैः शनैः ये स्वच्छन्दता निरंकुशता में परिणित होती गई। इससे कृषकों का ऐच्छिक उपहार के रूप में बदलाव और एक शोषण की कुत्सित प्रणाली बन गई।

प्रस्तावित शोध के सोपान

ज्यों-ज्यों जागीरदार के खर्च और निरंकुशता बढ़ती गई त्यों-त्यों कृषकों का आर्थिक भार बढ़ता गया। लगान के अतिरिक्त कई लागतें ली जाने लगी जिनकी संख्या 100 से अधिक तक जा पहुंची। यदि जागीरदार के यहां विवाह, जन्म-मृत्यु, त्यौहार आदि का अवसर होता तो इन्हें विशेष लागतों की अदायगी करनी पड़ती थी। गढ़ बनवाने, कवेलू ढकने, जेवर बनाने, घास काटने, हल चलाने, पिकार पकड़ने आदि विषयों का ठिकाने का खर्च कृषकों और दस्तकारों पर था। शिकार के अवसर पर या सरकारी अधिकारियों के दौरे पर किसान ठंडी रात में भी चौकसी के लिए लगाये जाते थे। उनकी गाड़ियां, हल, खेत के औजार, यहां तक की महिलाएं और बच्चे राजकीय उपयोग के लिए निर्धारित थे जिनका बिना कीमत

दिये काम में लेना जागीरदार का विशेष अधिकार था। ठिकानेदार लोग बागों से अमानवीय ढंग से कर वसूल करता था। फसल की बुवाई हो या कटाई, शादी हो या मरण, दुष्काल हो या महामारी ठिकाना बिना किसी विवेक के कर वसूली करता था। इसके अतिरिक्त बेगार प्रथा से कृषक इतना व्यक्त था कि उसके ना करने पर उसे कठोर यातना कर सकता था।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. "नवयुग संदेश" पेपर कटिंग पृष्ठ 29 दि. 02.10.1997
2. प्रेस कटिंग 1922 महकमा खास
3. प्रेस कटिंग 1922 राज्य अभिलेखागार बीकानेर
4. प्रेस कटिंग 1926 राज्य अभिलेखागार बीकानेर
5. प्रेस कटिंग 1922 राज्य अभिलेखागार बीकानेर
6. प्रेस कटिंग 1936 राज्य अभिलेखागार बीकानेर
7. तरुण राजस्थान 2 जून 1927 प्रेस कटिंग राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर
8. प्रेस विज्ञप्ति शिमला दिनांक 7 मई, 1922 भारत सरकार वैदेशिक राजनैतिक विभाग फाइल नं. 42 (गोपनीय) 1922। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार।
9. भारत सरकार को 7 मई, 1922 की प्रेस विज्ञप्ति वैदेशिक व राजनीतिक विभाग फाइल नं. 428, 193 भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार।

